

सेवा में

राकेश कुमार ओझा
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख सचिव/सचिव,
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/भूमि विकास एवं जल संसाधन/
कृषि/सिंचाई/वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 17-जुलाई, 2013

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्टेनविलिटी मद में मात्राकृत धनराशि से वाटर रिचार्जिंग की योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्टेनविलिटी मद से कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रक्रिया के निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या-1718/अडतीस-5-2013-32 सम/3013 दिनांक 08 जुलाई, 2013 (प्रति संलग्न) जारी किया गया है, जिसमें लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की नीति विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-280/62-1-2013-7 डब्लू पी-2004 टी0सी0-111, दिनांक 18 फरवरी, 2013 में उल्लिखित कार्यदायी संस्थाओं से कतिपय शर्तों के अधीन कार्य कराये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

2- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के सस्टेनविलिटी मद से ग्रामीण पेयजल योजनाओं के परिप्रेष्य में वाटर सिंचाई एवं सस्टेनविलिटी का कार्य कराया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अद्यतन दिशा-निर्देशों में सस्टेनविलिटी मद से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जिसके सुसंगत उद्देश्य की प्रति संलग्न संख्या हेतु संलग्न है। ग्राम्य विकास विभाग के पास प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज हेतु क्विंटिकल, सैमीक्विंटिकल, आर्क एवं अतिदीर्घ क्षेत्रों में सुसंगत कार्य हेतु सस्टेनविलिटी मद के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध है।

3- अतः इस सम्बन्ध में नुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08.07.2013 एवं उसमें उल्लिखित लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की नीति विषयक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 फरवरी, 2013 में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत सस्टेनविलिटी मद से कराये जाने वाले कार्यों की परियोजना/प्रस्ताव ग्राम्य विकास विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)
सचिव।

संख्या 1010(1)/अडतीस-5-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कॉर्पो0 लि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, भूगर्भ जल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, प्रोजेक्ट कॉर्पो0 लि0, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, लखनऊ।
8. माई फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।